FORM NO. III

न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 34/2019/प्रथम अपील

डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र फतेहसिंह भाटी, भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर, जिला चूरू (राज.)। अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 14 अक्टूबर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **07.08.2019** द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है :–

   (1) मेरे द्वारा प्रेषित पत्र कमांक C/2526/2019 दिनांक 15.07.2019 जरिये पंजीकृत पत्र RR938437475IN आपके कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 20.07.2019 पर आपके कार्यालय द्वारा आज दिनांक तक संस्थित की गई कार्यवाही मय संघारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां। (दो प्रतियों में)।

   (2) उक्त पत्र पर आज दिनांक तक कोई कोर्यवाही संस्थित नहीं की गई है तो किन नियमों एवं आदेशों के तहत, उन नियमों एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रतियां में)।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **04.10.2019** से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 07.08.2019 इस कार्यालय की आर.टी.आई. शाखा में पंजीबद्व कर न्याय शाखा को भिजवाया गया। कार्यालय हाजा की न्याय शाखा द्वारा आवेदक को पत्र दिनांक 12.09.2019 द्वारा सूचना भिजवाई गई। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अपने पत्र दिनांक 12.09.2019 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलेक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner